



झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

व्यवसायियों के GST में Enrolment से संबंधित आवश्यक सूचना।

- Enrolment की अंतिम तिथि 22.12.2016 से बढ़ाकर सिर्फ **दिनांक 31.12.2016** तक ही की गयी है। अतः यदि आपने अब तक GST में Enroll नहीं किया है तो अविलम्ब GST में Enrolment कर लें।
- विभागीय वेबसाइट पर Login करने के उपरांत दिखने वाले Pop-up पर GST के अधीन आपका औपबंधिक ID तथा Password उपलब्ध है। Pop-up के माध्यम से अविलम्ब अपना Enrolment कर लें।
- Enrolment की **अंतिम तिथि 31.12.2016** के उपरांत मौजूदा व्यवसायिक फर्म के माध्यम से GST के अधीन व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा तथा **दिनांक 31.03.2017** को आपके पास मौजूद माल के अंतिम भंडार शेष में शामिल कर की राशि का Input Tax Credit GST प्रणाली में उपलब्ध नहीं होगा।
- GST के अधीन अपने आई0डी0 तथा पासवर्ड की सुरक्षा हेतु इसे किसी के साथ साझा नहीं करें।
- GST के अधीन Enrolment पूर्णतः निशुल्क है एवं इसके लिए कोई राशि देय नहीं है।
- अतः अविलम्ब GST के अधीन Enrolment की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। इस हेतु सभी अंचल कार्यालय में आपकी सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था की गयी है एवं इस क्रम में यदि कोई कठिनाई हो तो अविलम्ब अपने अंचल प्रभारी एवं पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें।
- इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में **हेल्पडेस्क नं0 0124-4688999, helpdesk@gst.gov.in (New Delhi)** एवं विभागीय **हेल्पडेस्क नं0 —0651-6600500/2400939, helpdesk@jharkhandcomtax.gov.in (Ranchi)** पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

प्रधान सचिव—सह—आयुक्त,
वाणिज्य—कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।